	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 24, सोमवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 16, 2023 *Asvina 24, Monday , Saka 1945- October 16, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 30, 2023

संख्या एफ.27(क)(7)गृह-2/2023 :-राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 14) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जिला खैरथल-तिजारा के अन्तर्गत आने वाले पुलिस जिला खैरथल एवं पुलिस जिला भिवाडी की अधिकारिता में निम्नलिखित पुलिस थानों के क्षेत्रों को समाविष्ट करती हैः-

पुलिस जिला-खैरथल

पुलिस सर्किल	पुलिस थाना
किशनगढ बास	1 किशनगढ बास
	2 कोट कासिम
	3 खैरथल
	4 ततारपुर
	5 मुण्डावर

पुलिस जिला–भिवाडी

पुलिस सर्किल	पुलिस थाना
भिवाडी	1 भिवाडी
	2 भिवाडी फेज तृतीय
	3 चौपानकी
	4 महिला थाना

तिजारा	1 तिजारा
	2 शेखपुर अहीर
	3 टपूकडा
	4 खुशखेडा

पुलिस जिला खैरथल एवं पुलिस जिला भिवाडी के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट खैरथल- तिजारा एवं उनके अधीनस्थ संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकार अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अन्य संबंधित विधियों एवं पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 70 में निहित शक्तियों का प्रयोग करेगे।

यह अधिसूचना इस विषय पर इससे पूर्व प्रसारित सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में समझी जावें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

जगवीर सिंह ,

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।